न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3536–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–9–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 54/2012–13/अपील.

1. फूलसिंह पुत्र धनसिंह जाटव
2. चन्द्रभान सिंह पुत्र धनसिंह जाटव
   निवासी ग्राम भरसूला तहसील खनियाधाना
   जिला शिवपुरी म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

भूपत पुत्र जुग्गा जाटव
निवासी ग्राम भरसूला तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 10 सितम्बर 2015)

– – – – –

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 19–9–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक मुल्ला जाटव सम्पादित वसीयत के आधार पर आवेदकगण द्वारा एक आवेदन तहसील न्यायालय में मृतक की चल अचल सम्पत्ति पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया तथा अनावेदक

द्वारा भी मृतक मुल्ला की मृत्यु के बाद एक वसीयतनामा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दोनों वसीयतानामों में से आवेदकगण का वसीयतनामा सही पाते हुये तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश आवेदक के हक में दिनांक 5—2—13 को पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपील अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें धारा 32 का आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त आवेदन पर विचार न कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19—9—13 को इस आशय का आदेश पारित किया कि उभय पक्ष मृतक के सम्बंध में अन्य दस्तावेज साक्ष्य जैसे भू—अधिकार ऋण पुस्तिका जिस पर मृतक के हस्ताक्षर एवं फोटो लगा हुआ हो बैंक की पासबुक की प्रति मृतक का सजरा खानदान, पंचनामा मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत करें तथा स्वयं जो दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे उन्हें भी प्रस्तुत करे, तत्पश्चात प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश 19—9—13 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता अभिभाषक ने तर्क नहीं किये, परन्तु फिर भी न्यायहित में याचिका में उठाये तर्कों को विचार क्षेत्र में लिया जा रहा है। याचिका में मुख्य रूप से तर्क लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर विचार नहीं किया कि मात्र दस्तावेज प्रस्तुत करने से साक्ष्य की प्रकिया पूरी नहीं होती जब तक कि उसे प्रस्तुत करने वाले अथवा जिसके द्वारा दिया गया है उसको प्रमाणित करने वाले के कथन नहीं लिये जाते। ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रकिया का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोर अवहेलना की जा रही है। यह भी लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में पहले आवेदकगण के संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आदेश पारित करना चाहिए तत्पश्चात प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करना चाहिये तथा साक्ष्य लेने के पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत करना चाहिए, जिसे न करके अधीनस्थ न्यायालय ने अनियमित कार्यवाही की है । आवेदक अभिभाषक द्वारा अन्तिम तर्क के लिए

निश्चित तिथि को तर्क न कर एक अन्य आवेदन दिनांक 02–9–15 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 के अन्तर्गत इस प्रकरण को राजस्व मण्डल के अन्य न्यायालय में अन्तरित करने के लिए दिया।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि मृतक मुल्ला की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र आवेदक एवं अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जहां अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को साक्ष्य के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिये तत्पश्चात प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण नहीं होने देना चाहते हैं इसलिए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क किया कि विगत पेशी पर तर्क के लिए समय चाहा था तथा अब प्रकरण में आवेदक अभिभाषक तर्क न करके प्रकरण को अन्य कोर्ट में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है जो नियम विरूद्ध है तथा प्रकरण को लंबित रखने के लिए दिया गया है। अतः आवेदक का धारा 29 का आवेदन तथा निगरानी निरस्त की जाये।

5/ इस न्यायालय में आवेदक अभिभाषक ने संहिता की धारा 29 व 32 के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजने बावत दिये गये आवेदन पर वस्तुस्थिति यह है कि–

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 मामलों को अंतरिम करने की शक्ति–*"(1) जब कभी मंडल को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या किसी अन्य जिले के समान या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।*

(2) आयुक्त इस संबंध में उसको किये गये आवेदन पर, यदि उसकी यह राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह समीचीन है, यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अन्तरित कर दिया जाय।

इस प्रकार इस धारा के अधीन मामलों को अंतरित करने की शक्ति मंडल और आयुक्त को प्राप्त है। उपधारा (1) में राजस्व मण्डल की शक्तियां परिभाषित हैं और उपधारा (2) आयुक्त से संबंधित है। इन दोनों शक्तियों में कुछ मौलिक अंतर है। राजस्व मंडल के समक्ष किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किया जाना आवश्यक नहीं है जबकि आयुक्त उसके समक्ष आवेदन के अभाव में इस अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 29 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल किसी पक्षकार के आवेदन के बिना भी एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले या अन्य किसी जिले समान या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अन्तरित कर सकता है। इस प्रकार यह धारा राजस्व अधिकारियों के मामले में मण्डल की शक्तियां को व्यक्त करती है। संहिता की धारा 11 में राजस्व अधिकारी को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार –

"राजस्व मण्डल, उसके अध्यक्ष और सदस्य, संहिता के अधीन महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं; परन्तु वे 'राजस्व अधिकारी' नहीं हैं।"

स्पष्ट है भू–राजस्व संहिता में राजस्व मण्डल के अध्यक्ष अथवा सदस्य राजस्व अधिकारी नहीं है। अतः संहिता की धारा 29 इस न्यायालय पर लागू नहीं होती है। अतः दर्शित परिस्थितियों में आवेदक का धारा 29 का आवेदन निरस्त किया जाता है।

6/ निगरानी याचिका एवं अनावेदक अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के विचाराधीन आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपील अनुविभागीय अधिकारी को समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19—9—13 को इस आशय का आदेश पारित किया कि उभय पक्ष मृतक के सम्बंध में अन्य दस्तावेज साक्ष्य जैसे भू—अधिकार ऋण पुस्तिका जिस पर मृतक के हस्ताक्षर एवं फोटो लगा हुआ हो बैंक की पासबुक की प्रति मृतक का सजरा खानदान, पंचनामा मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत करें तथा स्वयं जो दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे उन्हें भी प्रस्तुत करे, तत्पश्चात प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। उभय पक्ष द्वारा मृतक के वसीयतनामा के आधार पर सम्पत्ति के नामांतरण के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को उक्त दस्तावेज पेश करने आदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जो प्रस्तुत करना चाहे उसका अवसर दिया। संहिता की धारा 49(3) में यह प्रावधानित है कि "पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे;" स्पष्ट है संहिता के प्रावधानानुसार अपील प्रकरण में भी यदि अपीलीय न्यायालय आवश्यक समझे तो अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19—9—2013 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर